पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 6379 /अका./का.प./2012 रायपुर, दिनांक 27/01/2012

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक गुरूवार, दिनांक 19 जनवरी, 2012 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. आभा रूपेन्द्रपाल	–	सदस्य
3.	प्रो. ज्योति रवि तिवारी	–	सदस्य
4.	प्रो. बी.के. शर्मा	–	सदस्य
5.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार सिंह	–	सदस्य
6.	डॉ. जगदीश गंगवानी	–	सदस्य
7.	डॉ. आर. बाला सुब्रमनियम	–	सदस्य
8.	डॉ. अरविंद गिरोलकर	–	सदस्य
9.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
10.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
11.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
12.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
13.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
14.	डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
15.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
16.	श्री रामजी भारती	–	सदस्य
17.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
18.	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक–1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 29.11.2011 एवं आपात बैठक 28.12.2011 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.11.2011 एवं आपात बैठक 28.12.2011 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई ।**

विषय क्रमांक–2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.11.2011 एवं आपात बैठक 28.12.2011 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.11.2011 एवं आपात बैठक 28.12.2011 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई, इसी के साथ पालन प्रतिवेदन के बिंदु कमांक (2) मे हुये निर्णय के परिपेक्ष्य में दी गई जानकारी पर निम्नानुसार निर्णय किया गया :–**

i. जिन शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारियों को पूर्व में अग्रिम प्रदान की गई है, और जिनका समायोजन नही किया गया हो उन्हे अग्रिम प्रदान नही किया जावे ।

ii. पूर्व में जिन अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारियों के विरूद्ध अग्रिम बकाया है, उन्हें नोटिस जारी किया जाए कि वे अग्रिम राशि 15 दिवस के अंदर विश्वविद्यालय कोष मे जमा करें। नोटिस के बाद भी (जिसका समायोजन होना शेष) राशि जमा नही करने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावे । वित्त विभाग ऐसे शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी जिन्होनें अग्रिम का हिसाब अभी तक जमा नहीं किया है, उनसे वसूली सुनिश्चित करे ।

iii. जो शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके है या त्याग पत्र देकर अन्यत्र सेवा दे रहे है उनके नियोक्ता को भी जानकारी देकर उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

iv. पूर्व वर्षो के लेखा व्यय का किसी चार्टेड एकाउंटेंट से अंकेक्षण कराया जावे ।

v. विषय क्रमांक 2 के निर्णय 2(iii) के अंतर्गत प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि ऐसे इंजीनियर जिन्हें छत्तीसगढ़ शासन से मूल्यांकन हेतु मान्यता प्राप्त हो, से मूल्यांकन कराकर, संबंधित ठेकेदारों को भुगतान कर अधूरे निर्माणाधीन भवनों को पूरा कराया जावे।

विषय क्रमांक–3

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.12.2011 एवं 28.12.2011 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.12.2011 एवं 28.12.2011 के बैठक की कार्यवृत्त के निर्णय का अनुमोदन किया गया ।**

विषय क्रमांक–4

डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान को कार्यमुक्त की तिथि से दो वर्ष का धारणाधिकार स्वीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, फार्मेसी संस्थान को कार्यमुक्त तिथि से, दो वर्ष का धारणाधिकार प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया ।**

विषय क्रमांक–5

डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ, एसोसिएट प्रोफेसर विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को कार्यमुक्त की तिथि से दो वर्ष का धारणाधिकार स्वीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ, एसोसिएट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर रिट पीटिशन क्रमांक 1330/2004, दिनांक 24.06.2004 और रिट पीटिशन क्रमांक 2729/2004, दिनांक 17.03.2005 पर न्यायालय के निर्णय के अधीन कार्यमुक्त तिथि से, दो वर्ष का धारणाधिकार प्रदान करने का अनुमोदन किया गया ।**

विषय क्रमांक–6

कु. सुषमा जैसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर कम्प्यूटर अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को कार्यमुक्त की तिथि से दो वर्ष का धारणाधिकार स्वीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **कु. सुषमा जैसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्युटर विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर रिट पीटिशन कमांक 1330/2004, दिनांक 24.06.2004 और रिट पीटिशन कमांक 2729/2004, दिनांक 17.03.2005 पर न्यायालय के निर्णय के अधीन कार्यमुक्त तिथि से दो वर्ष का धारणाधिकार प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–7

राज्य शासन/यू.जी.सी. से प्राप्त अनुदान राशि को लोक निर्माण विभाग को भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्रस्ताव के अनुसार राज्य शासन/यू.जी.सी. से प्राप्त अनुदान राशि रूपये 714.28 लाख (सात करोड़ चौदह लाख अट्ठाइस हजार) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग कमांक–3 को डिपार्जिट वर्क के अंतर्गत भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई, इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भवनों पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य शासन से प्राप्त अनुदान से आधिक्य राशि की व्यय का प्रावधान, आगामी बजट में शामिल किया जावे।**

विषय क्रमांक–8

डॉ. शम्श परवेज़ को मुख्य अन्वेषक के रूप में प्राप्त DST Research Project SR/S4/As-61/2010 (G)(C), Dated October 03' 2011 में आबंटित Capital Head के अंतर्गत Atomic Absorption Spectrophotometer with Accessories निर्माता फर्म M/S Thermo Fisher Scientific India Pvt. Ltd. Mumbai से क्रय पर आने वाले व्यय राशि USD 53,800 (तिरपन हजार आठ सौ मात्र) भारतीय मुद्रा में रूपए 28,39,564.00 (अट्ठाईस लाख उन्चालीस हजार पांच सौ चौंसठ रूपए मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. शम्स परवेज मुख्य अन्वेषक को DST Research Project SR/S4/As-61/2010 (G)(C), Dated October 03' 2011 से प्राप्त राशि में से उपकरण कय के लिये विभागीय कय समिति एवं केन्द्रीय कय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार प्रस्तावित राशि रूपये 28,39,564.00 (अट्ठाईस लाख उन्चालीस हजार पांच सौ चौसठ रूपये मात्र) के प्रशासनिक अनुमोदन के साथ संबंधित निर्माता कम्पनी को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

विषय क्रमांक–9

रसायन अध्ययनशाला SAP Program के अन्तर्गत उपकरण खरीदी के लिए रू. 29,50,545=00 की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : रसायन अध्ययनशाला **SAP Program** के अंतर्गत प्राप्त राशि रूपये 30.00 लाख में से दो उपकरण **Gas Chromatograph** के अंतर्गत **Zero Hydrogen Gas Cylinders, regulators, Hydrocarbon, Moisture and Oxygen traps** तथा **Specified Computer and Printer** कय के लिये विभागीय कय समिति एवं केन्द्रीय कय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार प्रस्तावित राशि रूपये 29,50,545.00 के प्रशासनिक अनुमोदन के साथ संबंधित फर्म को निर्माता कम्पनी के भुगतान करने हेतु अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–10

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. के अनुदान से साइलेन्ट जनरेटर क्रय करने हेतु अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. के अनुदान से साइलेन्ट जनरेटर कय करने के प्रस्ताव का विभागीय कय समिति एवं केन्द्रीय कय समिति की अनुशंसा के अनुसार कय करने एवं भुगतान करने हेतु अनुमोदन किया गया ।

विषय क्रमांक–11

विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के हड़ताल अवधि को देय अवकाश में समायोजित कर, वेतन भुगतान करने पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के हड़ताल अवधि के प्रकरण पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.11.2011के विषय सूची कमांक 11 के बिंदु ''द'' के निर्णय पर कर्मचारी संघ से प्राप्त पत्र कमांक 216, दिनांक 31.12.2011 में किये निवेदन पर, सहानभुति पूर्वक विचार करते हुये सर्वसम्मति से ''नो वर्क नो पे'' के स्थान पर उसे देय अवकाश अवधि मे समायोजित कर, अवकाश स्वीकृत करने हेतु अनुमोदन किया गया ।

पूरक विषय सूची

विषय कमांक–1

दिनांक 29.11.2011 से 11.01.2012 तक कुल 33 शोधार्थियों के पी–एच.डी. उपाधि को कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय : दिनांक 29.11.2011 से 11.01.2012 तक कुल 33 शोधार्थियों को पी–एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया ।

विषय कमांक–2

डॉ. गुरूदास तोलानी, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य शासकीय गजानंद अग्रवाल महाविद्यालय, भाटापारा के पी–एच.डी. उपाधि निरस्त करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय : **डॉ. गुरूदास तोलानी, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य शासकीय गजानंद अग्रवाल महाविद्यालय भाटापारा के पी–एच.डी. उपाधि निरस्त करने हेतु अनुमोदन किया गया । डॉ. तोलानी के गाईड को कारण बताओ नोटिस जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।**

विषय कमांक–3

69 विदेशी शोध पत्रिकाओं के कयार्थ अग्रिम चंदा प्रदान करने पर विचार करना ।

निर्णय : **69 विदेशी शोध पत्रिकाओं के कयार्थ अग्रिम चन्दा रूपये 25,59,242.89 प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया । संबंधित विभाग अग्रिम प्रदान करने के पूर्व, कय नियम का पालन सुनिश्चित किया जावे।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. वर्ष 2012 के वार्षिक परीक्षाओं के लिये गोपनीय मुद्रण कार्य का अनुमोदन किया ।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अकादमिक स्टाफ कालेज के लिये स्वीकृत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, से वचन बद्धता प्राप्त होने की सूचना ग्रहण की गई ।
3. कार्यपरिषद के सदस्यों द्वारा अट्ठारवाँ दीक्षांत समारोह के सफल एवं सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए कुलपति जी को बधाई दिया। कार्यपरिषद् ने समस्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी उनके सहायोग से अट्ठारवाँ दीक्षांत समारोह के सफलतापूर्वक संचालित होने हेतु बधाई दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई ।

(डॉ. एस.के पाण्डेय)
अध्यक्ष

(के.के. चन्द्राकर)
सचिव

पृ.कमांक 6380 /अका./का.प./2012

रायपुर, दिनांक 27/01/2012

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर ।
3. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यो को ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप कुलसचिव (अका.)